clearances upto Rs. 35 lakhs and subsequent clearances u'pto Rs. 75 lakhs have also been provided certain excise duty concessions. As more than 95% small AND tiny units in the country are reportedly having a turnover of less than Rs. 30 lakhs, withdrawal of exemptions are not likely to affect such small scale units.

(c) Representations of trade and industry regarding the effect of the budgetary changes are being examined a.nd wherever necessary, action will be taken to safeguard the interest of SSI sector. In respect of some items like shawl, handkerchiefs, footwears upto a value of Rs. 50 per pair, full exemption from excise duty has already been restored. In respect of certain spun yams like woollen yam, acrylic yam, polypropelene spun yam, narrow woven fabrics etc. the general small scale exemption has been extended.

पिछड़े राज्यों को राज-सहायता

3779. **श्री वीरेन जे० शाह :**
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पिछड़े राज्यों में विकास की गति तेज करने के लिए सरकार द्वारा राज-सहायता के रूप में विशेष अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, असम और जम्मू और कश्मीर को बजेटीय आबंटनों के अतिरिक्त कितनी-कितनी अतिरिक्त विशेष वित्तीय सहायता-राशी प्रदान की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा समान मानदंड न अपनाए जाने के कारण उपलब्ध करायी गई प्रतिव्यक्ति सहायता-राशि में अन्तर है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब और जम्मू और कश्मीर राज्य को पृथक-पृथक प्रति-व्यक्ति कितनी-कितनी सहायता-राशि उपलब्ध कराई गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) केन्द्र की ओर से राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में वित्तीय सहायता योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद किए गए आबंटन तथा सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी की जाती है। केन्द्रीय सहायता तथा आबंटन योजना आयोग द्वारा पुनः संशोधित गाडगिल फार्मुला, जिसका अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया गया था तथा जिसमें राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व भी था, के आधार पर किया जाता है। गाडगिल फार्मुले के तहत 15 गैर-विशेष श्रेणी राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आबंटन, कुल सहायता का लगभग 30 प्रतिशत 10 विशेष श्रेणी राज्यों को बांटने के बाद कुछ वस्तुपरक मानदण्डों पर आधारित होता है जिनमें जनसंख्या, प्रतिव्यक्ति आयकर प्रयास, राजकोषीय प्रबंध, विशेष समस्याएं आदि शामिल हैं।

इसी प्रकार, वित्त आयोग केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के अंतरण, जिसमें केन्द्रीय कर (जैसे आयकर, उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क) में हिस्सा, रेल यात्री भाड़े पर कर के बदले अनुदान, राजस्व घाटा अनुदान आदि शामिल है, के लिए भी सभी राज्य सरकारों से प्राप्त ज्ञापनों पर विचार करने तथा इस मामले पर उनके साथ विचार-विमर्श करने के बाद सिफारिश करता है। ये सिफारिशें वित्त आयोग द्वारा बनाए गए कुछ मानदण्डों के आधार पर की जाती हैं। चूंकि राज्य सरकारों के विभिन्न आर्थिक और सामाजिक सूचक एक दुसरे के साथ मेल नहीं खाते, अतः राज्यों के बीच प्रतिव्यक्ति केन्द्रीय सहायता में भिन्नता आई है ; हालांकि इसमें एक ही मानदण्ड अपनाया गया है।

जहां तक वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत केन्द्र से राज्यों को अंतरण का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि हालांकि सभी राज्यों के संबंध में समान मानदण्ड अपनाया जाता है फिर भी आर्थिक और सामाजिक सूचकों (जिन पर ये मानदण्ड लागू होते हैं) में परिवर्तनों के कारण प्रतिव्यक्ति अंतरण के आंकड़े राज्यों के बीच अलगअलग हो गए हैं।

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित चार राज्यों को जारी की गई प्रति-व्यक्ति सहायता (केन्द्रीय करों में हिस्सा और रेल यात्री भाड़ा कर के बदले अनुदान को छोड़कर योजनागत और योजना-भिन्न दोनों सहायता) के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता

(रुपये में)

	1991-92	1992-93	1993-94
असम	457.57	481.52	562.87
जम्मू और कश्मीर	1268.13	1390.32	1697.52
पंजाब	511.83	505.93	718.49
उत्तर प्रदेश	245.20	247.14	228.04